प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देश जिनका अनुपालन आवश्यक है

1. फोटो पहचान-पत्र के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। वही पहचान-पत्र रखें जिसका विवरण आपने आवेदन-पत्र में दिया है।

2. परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है। मोबाइल फोन के साथ पाये जाने पर आपकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

3. जो अभ्यर्थी Covid वैक्सीन के एक या दो डोज़ ले चुके हैं वे Vaccination Certificate की प्रति साथ लेकर आयेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है वे परीक्षा की तिथि के एक सप्ताह पूर्व अपना RTPCR Test कराकर उसकी रिपोर्ट साथ लायेंगे। Vaccination Certificate या RTPCR रिपोर्ट वीक्षक के मांगने पर दिखाना होगा।

4. परीक्षा केन्द्र पर अपना मास्क एवं सैनिटाइज़र साथ लेकर आयें। अभ्यर्थियों को मास्क या सैनिटाइज़र की आपूर्ति परीक्षा केन्द्र द्वारा नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी यदि चाहें तो अपने साथ पीने के पानी की बोतल ला सकते हैं।

5. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी की फोटो ली जायेगी। फोटो लेने के क्रम में अभ्यर्थी अपना मास्क हटाकर फोटो खिंचवायेंगे। जो अभ्यर्थी अपना फोटो नहीं खिंचवायेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6. इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी अपने पास सुरक्षित रखें।

7. प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा केन्द्र में रिपोर्टिंग टाइम के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद भी अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि बाद के चरणों में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा इसकी मांग की जायेगी।

8. परीक्षा केन्द्र में अपने साथ वही फोटो पहचान-पत्र रखें जिसका विवरण आपने आवेदन-पत्र में दिया है एवं जिसे वीक्षक द्वारा मांगे जाने पर दिखायें।

9. पररूपधारण (Impersonation), किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा में बैठाना, स्वयं फर्जी नाम से अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देना, परीक्षा में कदाचार, धोखाधड़ी, आदि आई0 पी0 सी0 की धारा 419, 468 तथा 471 के तहत दण्डनीय है, जिस में 7 वर्ष की सजा एवं गिरफ्तारी एवं अर्थ दंड अथवा दोनों का प्रावधान है। परीक्षा में किसी प्रकार का कदाचार करते हुए पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981, के अंतर्गत भी उचित कार्रवाई की जायेगी।

10. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा स्थान/केन्द्र में कोई फेर बदल मान्य नहीं है। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में उल्लेखित परीक्षा केन्द्र एवं आवंटित रौल नंबर के स्थान पर ही परीक्षा देंगे अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

11. कोई भी लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सादा कागज, क्लिपबोर्ड, स्लाइड रूल, कैलक्युलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, डिजिटल डायरी, पॉम टाप, पी0 डी0 ए 0, स्मार्ट वॉच या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केन्द्र के अंदर ले जाना वर्जित है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पाए गए अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जायेगा एवं उनकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

12. उत्तर-पत्रक को भरने से पहले ओ 0 एम 0 आर 0 (OMR) उत्तर-पत्रक पर लिखे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ओ 0 एम 0 आर 0 उत्तर-पत्रक पर, जिससे आपकी पहचान जाहिर हो, ऐसा कोई भी चिन्ह् न बनायें। कोई भी पन्ना प्रश्नपुस्तिका से अलग न करें तथा कोई भी प्रश्न इधर-उधर न लिखें।

13. गोलों (Circles) को भरने के लिए केवल काले या नीले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। एक बार उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे बदलने का प्रयत्न न करें क्योंकि दोबारा अंकित करने या मिटाने पर उत्तर गलत माना जायेगा तथा कंप्यूटर द्वारा उसे गलत उत्तर की तरह प्रोसेस किया जायेगा।

14 अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले तथा ओ 0 एम 0 आर 0 (OMR) उत्तर-पत्रक व उन्हें दी गयी प्रश्नपुस्तिका, वीक्षक को सौंपे बिना कक्षा छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। उत्तर-पत्रक व प्रश्न पुस्तिका बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना की सम्पत्ति है। इन्हें ले जाने का प्रयत्न करना दण्डनीय अपराध है।